विवरण 2क

ब.अ. 2018-19 और सं.अ. 2018-19 के बीच व्यय के बड़े अंतरों का विवरण

वर्ष 2018-19 के लिए व्यय का संशोधित अनुमान 2018-19 के बजट अनुमान की तुलना में ₹ 15,022 करोड़ की निवल वृद्धि दर्शाता है। व्यय की मदें, जहां अन्तर आए हैं, नीचे दर्शाई गई हैः-

(₹ करोड़)

		ब.अ. 2018-19	सं.अ. 2018-19	अन्तर बचत(-)/ आधिक्य(+)	
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	46700	67800	(+)	21100
2	ब्याज भुगतान	575795	587570	(+)	11775
3	रक्षा को छोड़कर पूंजी परिव्यय	184681	193105	(+)	8424
4	पुलिस	74866	80739	(+)	5873
5	रक्षा	282733	285423	(+)	2690
6	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	19163	21318	(+)	2155
7	खाद्य सब्सिडी	169323	171298	(+)	1975
8	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान और ऋण	6500	8310	(+)	1810
9	शिक्षा	40612	41211	(+)	599
10	अन्य सब्सिडियां	108834	109136	(+)	302
11	राज्यों को अनुदान और ऋण	420133	391128	(-)	29005
11	पेंशन	168466	166618	(-)	1848
13	अन्य व्यय	344407	333579	(-)	10828
	कुल व्यय	**2442213**	**2457235**	**(+)**	**15022**

वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुईः-

1. जोतयोग्य भू-स्वामी कृषक परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए आय समर्थन स्कीम शुरू करना।
2. बाजार ऋण, क्षतिपूर्ति और अन्य बांड 182/364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों पर ब्याज भुगतान और पीएसबी को जारी पुनः पूंजीकरण बांडों पर ब्याज।
3. एयर इंडिया लि. को कायाकल्प योजना के लिए अधिक प्रावधान और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अतिरिक्त निवेश।
4. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल के प्रशासनिक व्यय के तहत अधिक आवश्यकता।
5. परिवहन, भण्डार, निर्माण कार्य आदि के तहत अधिक आवश्यकता।
6. अखिल भारत आयुर्विज्ञान संस्थान, सीजीएचएस पेंशनरों का चिकित्सा उपचार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए अधिक आवश्यकता।
7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिक आवश्यकता।
8. जीएसटी लागू करने के कारण राजस्व हानि के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के तहत अधिक आवश्यकता।
9. नवोदय विद्यालय समिति के लिए अधिक आवश्यकता।
10. बाजार हस्तक्षेप स्कीम और मूल्य समर्थन स्कीम के तहत अधिक आवश्यकता।

कमी मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुईः-

11. जीएसटी लागू करने पर हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति के तहत कम आवश्यकता।
12. कम आवश्यकता।